न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा, जिला दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– उमेश वीर, आर.जे.एस. UID NO.RJ00787

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 318/2016

सी.आई.एस. नम्बर 1404/2020

CNR NoRJDS020006742016

राजस्थान राज्य ––अभियोगी

बनाम

सुरेश कुमार उर्फ चकुडा पुत्र रामचन्द उम्र–31 साल निवासी लाला की ढाणी थानागाजी जिला–अलवर (राज.) –– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

01–राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी।

02–श्री कमलेश शर्मा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.04.2026

1. हस्तगत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि फरियादी रामहेत ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 आरक्षी केन्द्र सदर, दौसा में इस आशय की पेश की कि मैं पदम सेठ के KBC भट्टे के पास परचूनी की दुकान करता हूँ जिसमें मेरा परचूनी का सामान रखा रहता है। मै दिनांक 10.01.16 को समय 6.00 बजे के लगभग दुकान बंद कर घर आ गया था। दिनाँक 11.01.16 को सुबह 4.00 बजे धारासिह व पायलेट नाम के लड़को ने भट्टे से थोडी दूर दो लडकों को सामान परचूनी का कट्टे में ले जाते हुए पकडा था जिनके पास मोटरसाइकिल बिना नम्बरी TVS स्टार सिटी थी सामान ले जाने दोनों लडके मोटरसाइकिल छोडकर भाग गये जिनका पीछा कर एक को पकड लिया व दूसरा भाग गया। मुझे धारासिंह ने फोन कर बताया तब मैं मेरी दुकान पर आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ था मैंने दुकान में चैक किया तो दुकान में से बिस्किट, नमकीन, बीडी माचिस एवं गल्ले में से 2300/–रुपये नहीं मिले जो राकेश उर्फ बल्ली व उसके उसके दूसरे साथी ने दुकान का ताला तोडकर चोरी कर लिया ..... इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र सदर, दौसा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14/2016 दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। बाद अन्वेषण अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाकर उसके विरूद्ध उक्त अपराधों के संबंध में नतीजा आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

3. अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अपराध का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया तो आरोपों को सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर विचारण प्रारंभ किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी0 ड 0–1 पदमसिंह, पी0 ड 0–2 मुरारी लाल, पी0 ड 0–3 रामस्वरूप, पी0 ड 0–4 हेमराज गुर्जर, पी0 ड 0–5 पायलेट, पी0 ड 0–6 रामहेत, पी0 ड 0–7 बाबूलाल, पी0 ड 0–8 हंसराज, पी0 ड 0–9 कमलेश, पी0 ड 0–10 महेन्द्र सिंह, पी0 ड 0–11 धारा सिंह को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रदर्श पी–1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–3, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5, सूचना प्रदर्श पी–6, तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–7, सूचना प्रदर्श पी–8, 9, फर्द जप्ती प्रदर्श पी–10, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–11, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–12, माल आर्टिकल–1 व 2 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. तत्पश्चात अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मामला सन्देह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा फर्द जब्ती को प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रकरण के गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) क्या प्रकरण के अभियुक्त दिनांक 10.01.2016 व 11.01.2016 की दरम्यानी रात में सूर्योदय पूर्व एवं सूर्यास्त पश्चात् किसी समय NH–11 पर पदम सेठ के KBC भट्टे के पास मुस्तगीस रामहेत की परचूनी की दुकान में रूपये व परचूनी का सामान चोरी करने हेतु ताला तोडकर प्रवेश किया तथा मुस्तगीस रामहेत की परचूनी की दुकान में से उसके कब्जेशुदा 2300/– रूपये, बिस्किट, नमकीन व बीडी–माचिस के पैकेट को बेईमानीपूर्वक आशय से, उसकी सहमति के बिना, उसके कब्जे से हटाकर चोरी का अपराध कारित किया?

(2) यदि हाँ तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

10. गवाह पी0 ड 0–1 पदमसिंह ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बाणे का बरखेडा में ईंट का भट्टा है जिसके सामने रामहेत की परचूनी की दुकान है। रामहेत की दुकान में वर्ष 2016 में चोरी हुयी थी जिसका नक्शा मौका पुलिस ने मेरे सामने मौके पर बनाया था। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि चोरी करते हुए मैंने नहीं देखा। चोरी करने वाले लडकों को भी मैं नहीं जानता। चोरी होने की जानकारी मैंने आस–पास लोगों से सुना कि चोरी हो गयी है। चोरी हुयी घटनास्थल का नक्शा मौका पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। मेरे सामने नक्शा मौकार तैयार नहीं किया।

11. गवाह पी0 ड 0–2 मुरारी लाल ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 11.01.2016 को पुलिस थाना सदर दौसा पर SHO के पद पर पदस्थापित था उस दिन परिवादी रामहेत द्वारा उपस्थित थाना होकर एक तहरीर रिपोर्ट मेरे समक्ष पेश की गयी जिस पर मेरे द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित की जाकर मुकदमा नं० 14/16 धारा 380 भा०दं०सं० में दर्ज कर तफ्तीश स्वयं के जिम्में ली। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 02 है जिस पर ए से बी कार्यवाही पुलिस अंकित है तथा सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। चाक FIR प्रदर्श पी० 03 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटना स्थल का नक्शा मौका मौतविरान की उपस्थिति में कसीद किया गया जो प्रदर्श पी० 01 है जिसकी पुश्त पर हालात मौका अंकित है तथा सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। गवाहान रामहेत, पायलेट, धारासिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। प्रकरण में दिनांक 11.01.2016 को घटना में प्रयुक्त वाहन मोटर साईकिल बिना नम्बरी TVS STAR गुलाबसिंह हैड कानि० द्वारा घटना स्थल से लाकर के थाने पर

सुरक्षार्थ खड़ी करी जिसको हस्तगत प्रकरण में जरिये फर्द जप्त किया। जिसकी फर्द प्रदर्श पी० 04 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में दिनांक 06.03.2016 को मुलजिम सुरेश कुमार उर्फ चकूडा को जरिये फर्द प्रदर्श पी० 05 के गिरफ्तार किया गया जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान मुलजिम सुरेश की अंगुता निशानी है। प्रकरण में दौराने अभिरक्षा मुलजिम सुरेश कुमार द्वारा स्वेच्छा से इत्तला दी गयी कि मैंने व राकेश ने जिस थडी के ताले तोडकर चोरी की वह जगह में चलकर बता सकता हूँ। मुलजिम द्वारा दी गयी सूचना प्रदर्श पी० 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम सुरेश की अंगुठा निशानी है। मुलजिम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में मुलजिम की निशादेही से घटना स्थल तस्दीक करवाया जाकर नक्शा बनाया गया जो प्रदर्श पी० 07 है जिसकी पुश्त पर हालात मौका अंकित है तथा ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी है। दौराने अभिरक्षा दिनांक 07.03.2016 को गिरफ्तारशुदा मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा द्वारा स्वेच्छा से इत्तला दी गयी कि मैने थडी का ताला तोडकर जो सामान चोरी किया था वह सामान मैंने भागते हुए एक खेत में फसल में छुपाया था जो मैं चल कर बरामद करा सकता हूं। दी गयी सूचना प्रदर्श पी० 08 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी है। प्रकरण में दिनांक 08.03.2016 को गिरफ्तारशुदा मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा द्वारा स्वेच्छा से इत्तला दी कि मैने जो थडी में से जो सामान चोरी किया था उनमें से दो बीड़ी के पेकेट (बण्डल) मैंने मेरी रिहायशी झोपड़ी में रख रखे है जिसकों मैं चल कर बरामद करा सकता हूँ। मुलजिम द्वारा दी गयी सूचना प्रदर्श पी० 09 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी है। मुलजिम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा द्वारा अपनी रिहायशी झोपड़ी में से प्रकरण में चोरी गये माल में से दो बीडी के पेकेट निकालकर मुझ अनुसंधान अधिकारी को पेश की जिसे जरिये फर्द जप्त किया गया जिसकी जप्ती प्रदर्श पी–10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगुठा निशानी, सी से डी गवाह रामस्वरूप के तथा इ से एफ गवाह महेन्द्र के हस्ताक्षर है। मुलजिम से जिस स्थान से वो बीड़ी के बण्डल जप्त किये गये उस स्थान का नक्शा बनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी० 11 है जिसकी पुश्त पर हालात मौका अंकित है, ए से बी मेरे हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर मुलजिम सुरेश की अंगुठा निशानी है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी जो प्रदर्श पी० 12 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण तफ्तीश के पश्चात मुलजिम सुरेश कुमार उर्फ चकूडा के विरूद्ध धारा 380 भा०दं०सं० में अपराध

प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट नम्बर 55/16 किता की जाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसके प्रत्येक पृष्ट पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में जप्तशुदा माल श्री बसवीर कानि० 470 पुलिस थाना सदर दौसा द्वारा अनसील्ड अवस्था में पेश किया गया। दो बीडी के बण्डल जिन पर पताका ब्रांड 502 अंकित है, गवाह ने पहचान कर के बताया कि ये वही बीड़ी के बण्डल है जिन्हे वक्त कार्यवाही मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा से जप्त किया गया था। उक्त बीडी के बण्डलों पर आर्टिकल 01 व आर्टिकल 02 डाला गया। उक्त माल का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर के मद क्रमांक 241/09 पर अंकित है। मूल मालखाना रजिस्टर न्यायालय में पेश है जो प्रदर्श पी० 12 ए है जिसकी पत्रावली पर संलग्न प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी० 12 है। जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–11 पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है।यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–11 घटना के लगभग दो माह बाद तैयार किया गया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल से किसी भी तरह का टूटा हुआ ताला या अन्य सामान जप्त नहीं किया गया। यह कहना सही है कि पत्रावली पर उपस्थित साक्षियों में से किसी ने भी अभियुक्त को चोरी करते नहीं देखा।

12. गवाह पी0 ड 0–3 रामस्वरूप ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 07.03.2016 को पुलिस थाना सदर दौसा में कानि० के पद पर पदस्थापित था उस दिन मुकदमा नं० 14/16 धारा 380 भा०दं०सं० में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा की निशादेही से घटना स्थल तस्दीक करवाया जाकर नक्शा बनाया गया था जो प्रदर्श पी० 07 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में दिनांक 08.03.2016 को मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा से मेरे सामने अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसकी रिहायशी झोपडी से दो बीडी के बण्डल जप्त कर फर्द बनाई गयी जो प्रदर्श पी० 10 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है तथा उसी दिन बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मेरे सामने बनाया गया जो प्रदर्श पी० 11 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में दिनांक 11.01.2016 को मेरे सामने एक बिना नम्बरी मोटर साईकिल TVS STAR जो कि हस्तगत प्रकरण में घटना में प्रयुक्त की गयी थी, को जप्त कर फर्द बनायी थी जो प्रदर्श पी० 04 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि बरामदगी से पता नहीं चलता की सामान शिकायतकर्ता का है या नहीं। बरामद किये गये सामान को मौके पर सील्ड नहीं किया गया था। बरामद किये गये सामान के कोई रसीद या बिल जप्त नहीं किये गये।

प्रदर्श पी–10 पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि बरामदगी सार्वजनिक स्थान पर या खुले स्थान पर नहीं की।

13. गवाह पी0 ड 0–4 हेमराज ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 2016 की बात है। पुलिस ने घटनास्थल रामहेत की दुकान में चोरी होने के सम्बन्ध में नक्शा मौका मेरे और पदमसिंह के सामने बनाया था जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि मुझे पता नहीं किस पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है कि हम मौके पर नहीं थे।

14. गवाह पी0 ड 0–5 पायलेट ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि रामहेत के घर में चोरी हुयी मुझे ध्यान नहीं है। मुझे इस घटना के बारे में कोई ध्यान नहीं है। मैं मेरे खेत में पानी मोड रहा था और ट्रेक्टर चला रहा था मुझे पता नहीं किस ने चोरी की। इस गवाह को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस गवाह से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–13 का ए से बी भाग एवं सी से डी भाग सही है। यह कहना सही है कि रामहेत की दुकान पर चोरी होने की सूचना पर पुलिस आयी थी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि मैंने चोरी करते हुए नहीं देखा।

15. गवाह पी0 ड 0–6 रामहेत ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सन 2016 की बात है। लालाराम, राकेश ने मेरी दुकान का ताला तोडकर के काफी सामान निकल कर ले गये थे। राकेश और लालाराम दुकान में से बीडी, नकमीन, बिस्कुल व गल्ले में से 23000/–रूपये निकाल कर ले गये। मेरी दुकान से करीब 500 मीटर दूर राकेश व लालाराम मेरी दुकान से चोरी किये हुए सामान और मोटरसाइकिल घर ले जा रहे थे जिसको पायलेट और धारासिंह ने पकडा तो लालाराम मोटरसाइकिल पटककर भाग गया एवं राकेश को पकड लिया फिर मैंने चोरी होने की सूचना पुलिस को दी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 हैं। जिन पर उसके हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी–2 मैंने नहीं लिखी। थाना में पुलिस वालों ने लिखी थी। जो सामान चोरी हुआ उसका बिल पेश नहीं किये। चोरी करने वाले को मैं पहचान नहीं सकता। थाने में मेरे से पहचान नहीं करवायी। मुझे पता नहीं है कि किस पडौसी के कहने से रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।

16. गवाह पी0 ड 0–7 बाबूलाल ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनाँक 06.03.2016 को थाना सदर, दौसा पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुरारी लाल द्वारा उक्त प्रकरण में मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा को मेरे सामने

व कमलेश कानि. के सामने प्रदर्श पी–5 से गिरफ्तार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को अवसर दिये जाने के बावजूद इस गवाह से कोई जिरह नहीं की गयी।

17. गवाह पी0 ड 0–8 हंसराज ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 11.01.2016 पीएस सदर पर हैड कनि० के पद पद पदस्थापित था तथा मालखाना का चार्ज मेरे पास था, उस दिन मुकदमा नंबर 14/16 धारा 380 आईपीसी में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री मुरारीलाल, एस एच ओ द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा माल एक मोटरसाइकिल नंबर आर जे 29 एस एम 2915 तथा दो बीडी के पैकेट स्पेशल व 502 पताका बीडी के मुझे मालखाना में जमा कराने के लिए दिए थे, जिन्हें मेरे द्वारा मालखाना में जमा कर मालखाना रजिस्टर के मद क्रमांक 241 पर किया गया। मूल मालखाना रजिस्टर न्यायालय में पेश है, जो प्रदर्श पी12 ए है, जिसकी पत्रावली पर संलग्न प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी12 है, जिस पर ए से बी एस एच ओ मुरारीलाल जी के हस्ताक्षर हैं, जिनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण मैं उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि जप्ती मेरे द्वारा नहीं की गई है। फर्द जप्ती की एक कॉपी प्राप्त करके मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज किया था। यह मुझे पता नहीं है कि माल का इन्द्राज करने से पहले माल किसके नियंत्रण में रहा। मैं यह नहीं कह सकता कि माल जमा कराने से पूर्व माल के साथ किसी प्रकार की छेडखानी हुई हो।

18. गवाह पी0 ड 0–9 कमलेश ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 06.03.2016 को पुलिस थाना सदर दौसा में कानि० के पद पर पदस्थापित था उस दिन मुकदमा नं० 14/16 धारा 380 भा०दं०सं० में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री हंसराज द्वारा मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा को मेरे सामने गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी० 05 है जिस पर इ से एफ मेरे हस्ताक्षर है । जिरह में कथन किया है कि मुझे उक्त घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी–5 पर किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये। उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया।

19. गवाह पी0 ड 0–10 महेन्द्र सिंह ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 07.03.2016 को पुलिस थाना सदर दौसा में कानि० के पद पर पदस्थापित था उस दिन मुकदमा नं० 14/16 धारा 380 भा०दं०सं० में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा की निशादेही से घटना स्थल तस्दीक करवाया जाकर नक्शा बनाया गया था जो प्रदर्श पी० 07 है जिस पर इ से एफ मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में दिनांक 08.03.2016 को मुलजिम सुरेश उर्फ चकूडा से मेरे

सामने अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसकी रिहायशी झोपडी से दो बीडी के बण्डल जप्त कर फर्द बनाई गयी जो प्रदर्श पी० 10 है जिस पर इ से एफ मेरे हस्ताक्षर है तथा उसी दिन बरामदगी स्थल का नक्शा मौका मेरे सामने बनाया गया जो प्रदर्श पी० 11 है जिस पर इ से एफ मेरे हस्ताक्षर है। प्रकरण में दिनांक 11.01.2016 को मेरे सामने एक बिना नम्बरी मोटर साईकिल TVS STAR जो कि हस्तगत प्रकरण में घटना में प्रयुक्त की गयी थी, को जप्त कर फर्द बनायी थी जो प्रदर्श पी० 04 है जिस पर इ से एफ मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि मैंने प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया। यह सही है कि प्रदर्श पी–7 में किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–7 घटनास्थल तस्दीक नक्शा मौका की कोई वीडियोग्राफी नहीं करवायी गयी। प्रदर्श पी–11 घटना के कितने दिन बाद बनाया गया था यह मुझे याद नहीं है। मुझे यह पता नहीं है कि मोटरसाइकिल किसकी थी।

20. गवाह पी0 ड 0–11 धारा सिंह ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सन् 2016 की बात है। मैं बाणे का बरखेडा में पदमसिंह के भट्टे पर मुनीम का कार्य करता था । सुबह करीब 03–04 बजे की बात है। भट्टे के पास ही रामहेत की दुकान थी । हमने देखा कि रामहेत की दुकान का ताला टूटा हुआ था और दो व्यक्ति वहाँ पर खडे हुए थे तो हमने उनसे पूछताछ की तो दोनो भागने लगे तो हमने एक व्यक्ति को पकड लिया जिसका नाम उसने राकेश होना बताया और दूसरा व्यक्ति वहाँ से भाग गया। फिर हमने दुकान वाले रामहेत को सूचना दे दी। फिर 10–15 मिनट बाद रामहेत आ गया। फिर हम लोग वापस भट्टे पर चले गये । मेरे साथ पायलेट भी था । जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि मैंने दुकान का ताला तोडते हुए किसी को नहीं देखा, मैंने तो दुकान का ताला टूटे हुए देखा था। मैंने किसी को दुकान में घुसते हुए नहीं देखा। पुलिस ने मुझे किसी भी दो लडकों की पहचान नहीं करवायी। हमने शक के आधार पर ही चोरी होना माना था। हमने राकेश को शक के आधार पर ही पकडा था।

21. इस सम्बन्ध में पत्रावली पर आयी समग्र साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी रामहेत ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 आरक्षी केन्द्र सदर, दौसा में इस आशय की पेश की कि मैं पदम सेठ के KBC भट्टे के पास परचूनी की दुकान करता हूँ जिसमें मेरा परचूनी का सामान रखा रहता है। मै दिनांक 10.01.16 को समय 6.00 बजे के लगभग दुकान बंद कर घर आ गया था। दिनाँक 11.01.16 को सुबह 4.00 बजे धारासिह व पायलेट नाम के लड़को ने भट्टे से थोडी दूर दो लडकों को सामान परचूनी का कट्टे में ले जाते हुए पकडा था जिनके पास मोटरसाइकिल बिना नम्बरी TVS स्टार सिटी थी सामान ले जाने

दोनों लडके मोटरसाइकिल छोडकर भाग गये जिनका पीछा कर एक को पकड लिया व दूसरा भाग गया। मुझे धारासिंह ने फोन कर बताया तब मैं मेरी दुकान पर आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ था मैंने दुकान में चैक किया तो दुकान में से बिस्किट, नमकीन, बीडी माचिस एवं गल्ले में से 2300/–रुपये नहीं मिले जो राकेश उर्फ बल्ली व उसके उसके दूसरे साथी ने दुकान का ताला तोडकर चोरी कर लिया ..... इत्यादि।

22. इस प्रकार पत्रावली का पुनः आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादी रामहेत द्वारा उसकी दुकान में चोरी होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। तत्पश्चात बाद अनुसंधान अभियुक्त सुरेश कुमार उर्फ चकूडा के द्वारा दी गयी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 27 के तहत दी गयी सूचना के कब्जे से परिवादी का चोरी हुआ सामान जब्त किया जाना बताया है। इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा मुख्य रूप से जब्ती के गवाहान पी0 ड 0–3 रामस्वरूप एवं पी0 ड 0–10 महेन्द्र सिंह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। यह स्वीकृत स्थिति है कि गवाह रामस्वरूप, महेन्द्र सिंह अनुसंधान अधिकारी के मातहत कर्मचारी रहे है।गवाह पी0 ड 0–3 रामस्वरूप ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना सही है कि बरामदगी से पता नहीं चलता की सामान शिकायतकर्ता का है या नहीं। बरामद किये गये सामान को मौके पर सील्ड नहीं किया गया था। बरामद किये गये सामान के कोई रसीद या बिल जप्त नहीं किये गये। प्रदर्श पी–10 पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि बरामदगी सार्वजनिक स्थान पर या खुले स्थान पर नहीं की। इसी प्रकार गवाह पी0 ड 0–10 महेन्द्र सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि मैंने प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया। यह सही है कि प्रदर्श पी–7 में किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी–7 घटनास्थल तस्दीक नक्शा मौका की कोई वीडियोग्राफी नहीं करवायी गयी। प्रदर्श पी–11 घटना के कितने दिन बाद बनाया गया था यह मुझे याद नहीं है। मुझे यह पता नहीं है कि मोटरसाइकिल किसकी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बरामदगी स्थल आम रास्ता है जहाँ पर लोगों का आवागमन रहता है। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा स्वतन्त्र गवाहान प्रकरण में बनाये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया हो, पत्रावली में दृष्टिगोचर नहीं होता है। फर्द जब्ती के गवाह रामस्वरूप व महेन्द्र सिंह फर्द जब्ती के समय बरामदगी स्थल पर उपस्थित रहे हो ऐसी पुलिस थाने की रोजनामचा रपट में आमद और रवानगी भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। गवाह पी0 ड 0–3 रामस्वरूप ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि बरामदशुदा माल को सील मोहर नहीं किया गया। गवाह पी0 ड 0–11 धारा सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि मैंने दुकान का ताला तोडते हुए

किसी को नहीं देखा, मैंने तो दुकान का ताला टूटे हुए देखा था। मैंने किसी को दुकान में घुसते हुए नहीं देखा। पुलिस ने मुझे किसी भी दो लडकों की पहचान नहीं करवायी। हमने शक के आधार पर ही चोरी होना माना था। हमने राकेश को शक के आधार पर ही पकडा था। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पी0ड0–2 मुरारी लाल ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–11 पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–11 घटना के लगभग दो माह बाद तैयार किया गया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 पर किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल से किसी भी तरह का टूटा हुआ ताला या अन्य सामान जप्त नहीं किया गया। यह कहना सही है कि पत्रावली पर उपस्थित साक्षियों में से किसी ने भी अभियुक्त को चोरी करते नहीं देखा। स्वतन्त्र गवाह पी0ड0–5 पायलेट प्रकरण में पक्षद्रोही रहा तथा कथन किया कि मैंने किसी को चोरी करते हुए नहीं पकडा। मैं राकेश उर्फ बल्ली को नहीं जानता। इस प्रकार गवाह पी0ड0–11 धारा सिंह तथा गवाह पी0ड0–5 पायलेट के बयानों में भारी विरोधाभास है। स्वतन्त्र गवाहान द्वारा शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं करवायी गयी। जप्तशुदा माल का कोई बिल परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही जप्ती के बाद माल को सील मोहर किया गया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध यह तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 10.01.2016 व 11.01.2016 की दरम्यानी रात में सूर्योदय पूर्व एवं सूर्यास्त पश्चात् किसी समय NH–11 पर पदम सेठ के KBC भट्टे के पास मुस्तगीस रामहेत की परचूनी की दुकान में रूपये व परचूनी का सामान चोरी करने हेतु ताला तोडकर प्रवेश किया तथा मुस्तगीस रामहेत की परचूनी की दुकान में से उसके कब्जेशुदा 2300/– रूपये, बिस्किट, नमकीन व बीडी–माचिस के पैकेट को बेईमानीपूर्वक आशय से, उसकी सहमति के बिना, उसके कब्जे से हटाकर चोरी का अपराध कारित किया हो। अतः अभियुक्त सुरेश उर्फ चकूडा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

23. परिणामतः अभियुक्त सुरेश कुमार उर्फ चकुडा पुत्र रामचन्द उम्र–31 साल निवासी लाला की ढाणी थानागाजी जिला–अलवर (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

24. प्रकरण में जब्तशुदा सामान सुपुर्दगी पर है जो सुपुर्ददार के पास रहे। बाद मियाद अपील, अपील न होने की सूरत में सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा नियमानुसार निरस्त समझा जावे।

25. अभियुक्त के नियमित पेशी हेतु जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को निर्देश है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके 6 माह की अवधि के इस आशय के प्रस्तुत करे कि यदि माननीय अपीलीय न्यायालय से अपील के कोई नोटिस प्राप्त होते हैं तो वह उक्त न्यायालय में उपस्थित हो जावेगा।

उमेश वीर (RJS)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दौसा, जिला–दौसा(राज.)

25. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उमेश वीर (RJS)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
दौसा, जिला–दौसा(राज.)